

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक— 1045 / FP/UK/ROAD/43062/2019 :देहरादून: 22 अक्टूबर, 2021.

सेवा में,

प्रमारी सचिव,
वन अनुभाग-3,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:— जनपद—देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम रागा तौली—गूड़ किमी 3.00 राजेन्द्र सिंह की दुकान से पूर्ण सिंह के घर धोरे की डांडी तक पीसी द्वारा सड़क मार्ग निर्माण हेतु 0.405 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।
(ऑन—लाईन पत्रावली संख्या— FP/UK/ROAD/43062/2019)

संदर्भ:— वन अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या 1242/X-3-20/1(140)/2020 दिनांक 16-10-2020 (प्रति संलग्न).

महोदय,

कृपया शासन के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे विषयांकित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी के पत्रांक 3666/12-1 दिनांक 28-05-2021 (संलग्नक-1) द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:—

1. शासन की शर्त संख्या-1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि रु० 2,09,027.00 (दो लाख नौ हजार सत्ताईस) मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से तदर्थ कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है।
2. शर्त संख्या-2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन०पी०वी० की देय धनराशि रु० 2,95,650.00 (दो लाख पचानब्बे हजार छः सौ पचार रुपये) मात्र ऑनलाईन चालान के माध्यम से सम्बन्धित कोष में जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या-3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन०पी०वी० की बचनबद्धता का प्रमाण-पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-2)
4. शर्त संख्या-4 एवं 5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा ऑनलाईन चालान जनरेट कर विभिन्न मदों में जमा की गयी कुल धनराशि रु० 5,04,677.00 (पाँच लाख चार हजार छः सौ सत्तर रुपये) मात्र की चालान की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-3)
5. शर्त संख्या-5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या-7 के अनुपालन में वनाधिकार अधिनियम, 2006 के अभिलेख/प्रमाण-पत्र ऑनलाईन एवं प्रस्ताव की हार्ड प्रति में संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में विधिवत स्वीकृति/शासनादेश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि

भवदीय,

(डा० कर्पिल जोशी)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :- 1045 / FP/UK/ROAD/43062/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
2. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून।

(~~डा०~~ कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

07/0